भारत सरकार
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
दूरसंचार विभाग, संचार भवन
20 अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं0 840-7/2007-सीएस (खंड-II) (सी)

दिनांक 04.07.2007

विषय : सेटेलाइट द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन (जीएमपीसीएस) लाइसेंस करार में संशोधन।

जीएमपीसीएस लाइसेंस करार के खंड 5.1 के अनुसरण में, आम जन हित में या सेवा के समुचित संचालन या राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लाइसेंस के निबंधन एवं शर्तों को किसी भी समय संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है, लाइसेंसदाता एतद्द्वारा जीएमपीसीएस लाइसेंस के निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तों को तत्काल प्रभाव से संशोधित करते हैं :

(क) **सेटेलाइट द्वारा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन लाइसेंस करार, जिसे इसके पश्चात् जीएमपीसीएस लाइसेंस करार कहा जाएगा, के निबंधन और शर्तों के भाग-I के खंड 1.1 से 1.4 के लिए निम्नलिखित खंडों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :**

1.1 लाइसेंसधारी यह सुनिश्चित करेगा कि लाइसेंसधारी कंपनी में कुल विदेशी इक्विटी लाइसेंस की संपूर्ण अवधि के दौरान किसी भी समय कुल प्रदत इक्विटी के 74% से अधिक न हो और जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी निम्नलिखित मानदंडों के अध्यधीन होगा :

(i) लाइसेंसधारी कंपनी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के विदेशी निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा में रखा जाएगा। विदेशी निवेश में विदेशी संस्थागत निवेशकों, अनिवासी भारतीय तथा विदेशी निकायों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉंडों, अमेरिकी डिपोजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट और परिवर्तनीय अधिमानी शेयर शामिल हैं। अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अर्थ लाइसेंसधारी कंपनी के शेयरों को धारित करने वाली कंपनी/कंपनियों तथा उनकी नियंत्रक कंपनी/कंपनियों या कानूनी निकाय (जैसेकि म्युचुअल फंड, ट्रस्ट) में समानुपातिक आधार पर विदेशी निवेश होगा। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं द्वारा धारित लाइसेंसधारी कंपनियों के धारित शेयरों को 'भारतीय होल्डिंग' के रूप में समझा जाएगा। किसी भी स्थिति में भारतीय शेयरधारिता 26 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(ii) 49 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमैटिक रूट पर जारी रहेगा। लाइसेंसधारी कंपनी/भारतीय प्रोमोटरों/निवेश कंपनियों और उनकी नियंत्रक कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक होगा यदि वह निवेश 74 प्रतिशत की समग्र अधिकतम सीमा के अंतर्गत हो। निवेश प्रस्ताव अनुमोदित करते समय विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यह ध्यान रखेगा कि निवेश किसी अप्रीतिकर देश और/अथवा शत्रु संस्थाओं द्वारा नहीं किया जा रहा है।

(iii) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत के कानूनों के अध्यधीन होगा न कि किसी अन्य देश/देशों के कानूनों के अध्यधीन ।

1.2 लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि शेयरधारिता में कोई परिवर्तन सभी आवश्यक सांविधिक अपेक्षाओं के अध्यधीन होगा।

118-2-

1.3 लाइसेंसधारी को लाइसेंसधारक कंपनी में भारतीय और विदेशी इक्विटी होल्डिंग (प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों) की घोषणा करनी होगी तथा लाइसेंसदाता के समक्ष एफडीआई मानदंडों और सुरक्षा शर्तों की बिना शर्त अनुपालना रिपोर्ट छमाही आधार पर 1 जनवरी, और 1 जुलाई को प्रस्तुत करनी होगी। अनुपालन संबंधी रिपोर्ट को लाइसेंसधारी कंपनी के कंपनी सचिव अथवा सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(ख) जीएमपीसीएस के सामान्य निबंधन और शर्तों के भाग-I के खंड 41.8 के बाद निम्नलिखित खंड को शामिल किया जाएगा अर्थात :-

"41.9 लाइसेंसधारक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगा :-

(i) तकनीकी नेटवर्क प्रचालनों के मुख्य प्रभारी अधिकारी और मुख्य सुरक्षा अधिकारी निवासी भारतीय नागरिक होने चाहिए।

(ii) अवसंरचना/नेटवर्क डायग्राम का ब्यौरा (नेटवर्क का तकनीकी ब्यौरा) केवल दूरसंचार उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं/विनिर्माताओं तथा लाइसेंसधारी कंपनी की संबद्ध/मूल कंपनी को आवश्यकता के आधार पर ही उपलब्ध कराया जा सकता है। यदि इस प्रकार की जानकारी किसी और को उपलब्ध करायी जानी हो तो लाइसेंसदाता (दूरसंचार विभाग, भारत सरकार) से अनुमति लेनी अपेक्षित होगी।

(iii) सुरक्षा कारणों से, ऐसे निकायों के घरेलू परियात का जैसा कि लाइसेंसदाता पहचान/विनिर्दिष्ट करे भारत के बाहर किसी स्थान को संवहन/रूट नहीं किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ, घरेलू परियात हेतु भारत के लिए कार्य कर रहे उपग्रहों का स्थान भारत के बाहर नहीं माना जाएगा।

(iv) लाइसेंसधारी कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और सामयिक उपाय करेगी कि उपभोक्ताओं द्वारा नेटवर्क के माध्यम से संपादित सूचना संरक्षित और सुरक्षित हो।

(v) संदेशों का कानूनन अवरोधन कार्य करने वाली लाइसेंसधारी कंपनियों के अधिकारी/कर्मचारी निवासी भारतीय नागरिक होंगे।

(vi) कंपनी के निदेशक मण्डल के अधिसंख्य निदेशक भारतीय नागरिक होंगे।

(vii) यदि अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और /अथवा मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के पद विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा धारित हों तो उनकी सुरक्षा जांच गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा अपेक्षित होगी। सुरक्षा जांच आवधिक रूप से वार्षिक आधार पर अपेक्षित होगी। यदि सुरक्षा जांच के दौरान कुछ प्रतिकूल पाया जाता है तो गृह मंत्रालय का निर्देश लाइसेंसधारी कंपनियों पर बाध्यकारी होगा।

(viii) कंपनी निम्नलिखित को भारत के बाहर किसी व्यक्ति/स्थान को अंतरित नहीं करेगी :

(क) उपभोक्ता से संबंधित कोई लेखा संबंधी सूचना (अंतरराष्ट्रीय रोमिंग/बिलिंग को छोड़कर) (टिप्पणी : यह प्रतिबंध सांविधिक रूप से वित्तीय स्वरूप के अपेक्षित प्रकटन पर लागू नहीं होता) ; और

(ख) प्रयोक्ता संबंधी सूचना (रोमिंग करते समय भारतीय प्रचालक के नेटवर्क का उपयोग करने वाले विदेशी उपभोक्ताओं से संबंधित मामलों को छोड़कर)

(ix) कंपनी को अपने उपभोक्ताओं को ढूंढ़ पाने योग्य पहचान अवश्य देनी चाहिए।

(x) लाइसेंसदाता अथवा लाइसेंसदाता द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी के अनुरोध पर दूरसंचार सेवा प्रदाता किसी उपभोक्ता की भौगोलिक स्थान-अवस्थिति निश्चित समय में प्रदान करने में सक्षम हो।

(xi) नेटवर्क का दूरस्थ अभिगम (आरए) केवल अनुमोदित विदेशी स्थानों को भारत में अनुमोदित स्थानों के माध्यम से प्रदान करना होगा। स्थानों के संबंध में अनुमोदन सुरक्षा एजेंसी (आसूचना ब्यूरो) के परामर्श से लाइसेंसदाता (दूरसंचार विभाग) द्वारा प्रदान किया जाएगा।

483

(xii) किसी भी परिस्थिति में, विधिसम्मत अवरोधन प्रणाली (एलआईएस), विधिसम्मत अवरोधन मानीटरिंग (एलआईएम), परियात की कॉल संबधी विषय-वस्तु तथा ऐसे किसी संवेदनशील क्षेत्र/डाटा जिसे समय-समय पर लाइसेंसदाता ने अधिसूचित किया हो, पर आपूर्तिकर्त्ताओं/विनिर्माताओं तथा सहयोगी(सहयोगियों) को किसी भी दूरस्थ अभिगम के अभिगमन में समर्थ नहीं होना चाहिए।

(xiii) लाइसेंसधारक कंपनी को विषय-विस्तु की निगरानी के लिए दूरस्थ अभिगम सुविधा का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।

(xiv) नामित सुरक्षा एजेंसी/लाइसेंसदाता के भारतीय परिसर पर उपयुक्त तकनीकी तंत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिसमें दूरस्थ अभिगम सूचना की एक वास्तविक छाया प्रति निगरानी के प्रयोजनार्थ ऑन लाईन उपलब्ध हो।

(xv) भारत में प्रचालित नेटवर्क संबंधी दूरस्थ अभिगम कार्यकलापों के पूर्ण लेखा-रिकार्ड का छह महीने की अवधि के लिए रख-रखाव किया जाना चाहिए तथा इसकी प्रति लाइसेंसदाता या लाइसेंसदाता द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी के अनुरोध पर दी जाए।

(xvi) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केन्द्रीकृत स्थल से विधिसम्मत अवरोधन तथा मानिटरिंग करने के लिए उनके उपस्कर में आवश्यक व्यवस्था (हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर) उपलब्ध हो।

(xvii) दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को अपनी प्रणालियों के संबंधित प्रचालनों/विशेषताओं के बारे में सतर्कता तकनीकी मानीटरिंग (वीटीएम)/सुरक्षा एजेंसी के अधिकारियों/कर्मचारियों को परिचित कराना/प्रशिक्षण देना चाहिए।

(xviii) राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से किसी संवेदनशील क्षेत्र में प्रचालन करने से लाइसेंसधारक कंपनी पर रोक लगाना लाइसेंसदाता पर निर्भर करेगा।

(xix) वॉइस एवं डाटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, मॉनीटरिंग करने हेतु केवल संघ सरकार के गृह सचिव अथवा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के गृह सचिवों द्वारा ही प्राधिकार प्रदान किया जाएगा।

(xx) परियात की मानीटरिंग करने के लिए, लाइसेंसधारक कंपनी सुरक्षा एजेंसियों को अपने नेटवर्क तथा अन्य सुविधाओं के साथ-साथ बही खातों को भी उपलब्ध कराएगी ।

2. लाइसेंसधारक द्वारा लाइसेंस प्रदाता को जीएमपीसीएस लाइसेंस करार के खण्ड 1.1 और सुरक्षा शर्तों के प्रति बिना शर्त का अनुपालन रिपोर्ट अधिक से अधिक जुलाई, 2007 की 18 तारीख तक तथा तत्पश्चात प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रस्तुत की जाएगी।

3. जीएमपीसीएस लाइसेंस करार की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

(राजवीर शर्मा)
निदेशक (सीएस-I)
दूरभाष : 23036289

प्रति :-

1. बेतार सलाहकार (डब्ल्यूपीसी)
2. वरिष्ठ उप महानिदेशक (एलएफ) दूरसंचार विभाग/वरिष्ठ उप महानिदेशक (सतर्कता)/वरिष्ठ उप महानिदेशक (टीईसी)
3. उप महानिदेशक (एएस)/उप महानिदेशक (डीएस)/संयुक्त सचिव (टी)
4. सचिव, ट्राई।